अंतीम डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ऑ 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत-न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) बांदीकुई मुकाम-बांदीकुई

अज इजलास रामसिंह राजावत आरएएस सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) बांदीकुई

उनवान-इन्द्र कुमार बनाम रामेश्वर

दावा इस्तकरार हक उद्घोषणा तकासमा एवम् हुक्म इम्तनाई दवामि

मुम 28/2011 न्यायालय मे दर्ज संख्या 126/2022

आदेश है कि वादी वाद इस्तकरार हक उद्घोषणा तकासमा एवम् हुक्म इम्तनाई दवामि भूमि खतौनी सदका नई व पुरानी 73 आराजी ख. नं. 633 रकबा 0. 20 है० किस्म बारानी ए. ख. न. 636 रकबा 0.81 है० किस्म बारानी ए. कुल रकबा 1.01 है० वार्षिक लगानी 18.18 रूपये स्थित वाके ग्राम मुकरपुरा तहसील बांदीकुई मे तहसीलदार बांदीकुई के पत्रांक मु.अ./ 2025/9166 दिनांक 19.09.2025 के द्वारा पेश कुर्रेजात स्वीकार किये जाकर पक्षकारान का कुर्रेजात अनुसार विभाजन किया जाता है। तहसीलदार बांदीकुई तदानुसार राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद करे साथ ही पक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के हिस्से मे आयी भूमि पर दखल पैदा न करे, तहसीलदार बांदीकुई से प्राप्त कुर्रेजात निर्णय डिक्री का भाग रहेगा। प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निज मुबलिग बाबत् खर्चा इस मुकदमे के मय सूद मशरह .0 फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.. का अदा करे। बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13 माह 03 सन् 2026 को जारी की गई।

(हस्ताक्षर) 13/3/26

(रामसिंह राजावत)

सहायक कलक्टर एवं

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)

(बांदीकुई) बांदीकुई

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुताल्लिक मीजान	निल	निल	स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुताल्लिक मीजान	निल	निल

(हस्ताक्षर) 13/3/26

दस्तखत

सहायक कलक्टर एवं

पीठासीन अधिकारी

कार्यपालक मजिस्ट्रेट

(फास्ट ट्रैक) बांदीकुई

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) बांदीकुई

मु.न. 26/2011
न्यायालय में दर्ज संख्या 126/2022
निर्णय दिनांक 13.02.2026

उनवान

1. इन्द्र कुमार शाहरा पुत्र श्रीरामेश्वरप्रसाद जाति महाजन निवासी वार्ड न. 14 जैन मन्दिर के पीछे बाँदीकुई हाल निवासी वार्ड नं0 25, महेन्द्र नगर बसवा रोड बाँदीकुई तह. बसवा, जिला–दौसा राज०

–वादी

बनाम

1. रामेश्वर प्रसाद शाहरा पुत्र श्री रामसहाय शाहरा जाति महाजन निवासी वार्ड न0 14 जैन मन्दिर के पीछे बाँदीकुई तह. बसवा जिला–दौसा (नाम इजफ)
2. सत्यनारायण शाहरा पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद शाहरा जाति महाजन निवासी वार्ड न0 14 जैन मन्दिर के पीछे बाँदीकुई तह. बसवा जिला–दौसा
3. दाऊदयाल शाहरा पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद शाहरा जाति महाजन निवासी वार्ड न0 14 जैन मन्दिर के पीछे बाँदीकुई तह बसवा जिला–दौसा
4. निर्मल कुमार शाहरा पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद शाहरा जाति महाजन निवासी वार्ड न0 14 जैन मन्दिर के पीछे बाँदीकुई तह. बसवा जिला–दौसा
5. राजकुमार शाहरा पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद शाहरा जाति महाजन निवासी वार्ड न0 14 जैन मन्दिर के पीछे बाँदीकुई हालसाकिन राधाकृष्ण कॉलोनी पुलिस थाने के पीछे बाँदीकुई तह. बसवा जिला–दौसा
6. रविन्द्र कुमार शाहरा पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद शाहरा जाति महाजन निवासी वार्ड न0 14 जैन मन्दिर के पीछे बाँदीकुई तह. बसवा जिला–दौसा
7. श्रीमती रेणु देवी शाहरा पत्नी स्व० श्री प्रभुदयाल शाहरा जाति महाजन निवासी वार्ड न0 14 जैन मन्दिर के पीछे बाँदीकुई तह बसवा जिला–दौसा
8. अनिल उर्फ अमित शाहरा पुत्र स्व० श्री प्रभुदयाल शाहरा जाति महाजन निवासी वार्ड न0 14 जैन मन्दिर के पीछे बाँदीकुई तह. बसवा जिला–दौसा
9. कुमारी अंकिता शाहरा पुत्री स्व० श्री प्रभुदयाल शाहरा जाति महाजन निवासी वार्ड न0 14 जैन मन्दिर के पीछे बांदीकुई तह. बसवा जिला–दौसा जरिये वली कुदरती माता श्रीमती रेणु देवी शाहरा पत्नि स्व० श्री प्रभुदयाल शाहरा जाति महाजन निवासी वार्ड नं0 14 बाँदीकुई तहसील बसवा जिला दौसा
10. श्रीमती कृष्णादेवी शाहरा पत्नी स्व० श्री विजयकुमार शाहरा जाति महाजन निवासी वार्ड 14 जैन मन्दिर के पीछे बाँदीकुई तह बसवा दौसा
11. कुमारी निकिता शाहरा पुत्री स्व० श्री विजयकुमार शाहरा नाबालिग जाति महाजन निवासी वार्ड 14 जैन मन्दिर के पीछे बाँदीकुई तह बसवा जिला–दौसा
12. कुमारी खुशी शाहरा पुत्री स्व० श्री विजयकुमार शाहरा नाबालिग जाति महाजन निवासी

वार्ड न0 14 जैन मन्दिर के पीछे बाँदीकुई तह. बसवा जिला–दौसा

13. कुमारी करिश्मा शाहरा पुत्री स्व० श्री विजयकुमार शाहरानाबालिग जाति महाजन निवासी वार्ड न० 14 जैन न मन्दिर मन्दिर के पीछे बांदीकुई तह.बसवा जिला–दौसा

14. कुमारी आरुषी शाहरा पुत्री स्व० श्री विजयकुमार शाहरा नाबालिग जाति महाजन निवासी वार्ड नं० जैन मन्दिर के पीछे बादीकुई तहसील 14 बसवा जिला दौसा।

15. कुमारी श्रुति शाहरा पुत्री श्री विजयकुमार शाहरा उम्र 5 वर्ष नाबालिग जाति महाजन निवासी वार्ड न0 14 जैन मन्दिर के पीछे बाँदीकुई तह बसवा जिला–दौसा जरिये वली कुदरती माता श्रीमती कृष्णा देवी शाहरा पत्नि स्व० श्री विजयकुमार शाहरा जाति महाजन निवासी वार्ड न0 14. बाँदीकुई तहसील बसवा जिला दौसा (राज०)

16. पीयुष शाहरा पुत्र श्री सत्यनारायण शाहरा उम्र 30 वर्ष जाति महाजन निवासी वार्ड न० 14 जैन मन्दिर के पीछे बाँदीकुई तह. बसवा जिला–दौसा

17. राधेश्याम खण्डेलवाल पुत्र गैंदालाल उम्र 65 वर्ष जाति महाजन निवासी सीनेमा हॉल के पीछे बाँदीकुई तह. बसवा जिला–दौसा

18. सुरेश कुमार खण्डेलवाल पुत्र रामकिशोर खण्डेलवाल उम्र 45 वर्ष जाति महाजन निवासी ए–6 जनता कॉलोनी जयपुर

18 राजस्थान सरकार गू स्वामी जरिये तहसीलदार हाल तहसीलदार बांदीकुई

—प्रतिवादीगण

उपस्थित:

श्री नवीन कुमार गुर्जर एडवोकेट अधिवक्ता वादी

श्री सम्पतराम जांगीड़ एडवोकेट अधिवक्ता प्रतिवादी

<u>दावा इस्तकरार हक उद्घोषणा तकासमा एवम् हुक्म इम्तनाई दवामि</u>

निर्णय

दिनांक 13.02.2026

वाद वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण दावा तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा बाबत न्यायालय उपजिला कलक्टर बांदीकुई के न्यायालय में पेश किया गया था। शीघ्र सुनवाई हेतु प्रकरण न्यायालय हाजा मे स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुआ है। जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार भूमि खातौनी संख्या नई व पुरानी 73 आराजी ख. नं. 635 रकबा 0. 20 है० किस्म बारानी ए. ख. न. 636 रकबा 0.81 है० किस्म बारानी ए. कुल रकबा 1.01 है० वार्षिक लगानी 16.16 रूपये स्थित वाके ग्राम भुकरपुरा तहसील बसवा जिला दौसा पक्षकारान की शामलाती संयुक्त हिन्दू परिवार की कोपार्सनरी सम्पति है जिसका आज दिन तक विधि अनुसार सरसा नरसानुसार तकासमा नही हुआ है नकल जमाबन्दी व नक्सा संलग्न वाद पत्र है। वादी व प्रतिवादीगण न० 1 ता० 15 एक ही परिवार के सदस्य है परिवार के मुखिया मृतक रामेश्वर प्रसाद थे अभी तक परिवार की समस्त सम्पतिया शामलाती है वादी व प्रतिवादीगण की शामलाती राशि से वादी की माता श्रीमती शांती देवी शाहरा के नाम से भूमि विवादित पैरा न.1

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रैक) बैजुई

को क्रय किया गया था। इस प्रकार भूमि विवादित प्रारम्भ से ही पक्षकारान की सह खातेदारी की भूमि रही है। स्व० श्री रामेश्वर प्रसाद ने भूमि विवादित में एक भव्य मन्दिर के निर्माण का इरादा जताया, तब पक्षकारान की सहमति से परिवार के पूर्वजों श्री रामसहाय सुन्दरी देवी शाहरा मेमोरियल चेरीटेबल ट्रस्ट के नाम से एक व्यक्तिगत ट्रस्ट बनाकर परिवार के रामेश्वर सदस्यगण वादी एवम प्रतिवादीगण 1 ता० 15 एवम 16,17 को उक्त का ट्रस्टी बनाकर विवादित भूमि मे से 0.22 है० भूमि उक्त ट्रस्ट को वादी की माता ने दिनांक 07/02/2002 को जरिये रजिस्टर्ड ट्रस्ट, डीड ट्रस्ट के हक में स्थानान्तरित कर दी है उक्त ट्रस्ट के वादी एवम प्रतिवादीगण न० 1 से 5 व 15,,16,17 उनके द्वारा नियुक्त किये गये ट्रस्टी है तथा श्रीमती शांति देवी शाहरा ट्रस्ट कर्ता व प्रभुदयाल तथा विजय कुमार, रामेश्वर प्रसाद का देहान्त हो चुका है इस प्रकार भूमि उक्त पर अब उक्त ट्रस्ट का अधिकार है भूमि उक्त के पूर्वी दक्षिणी कोने पर मन्दिर का निर्माण हो चुका है इस ट्रस्ट की भूमि को भूमि विवादित से जरिये तकास्मा पृथक किया जाना कानूनन जरूरी है। भूमि विवादित ख० न० 635 रकबा 0.20 है० बारानी के दक्षिणी पश्चिमी कोने पर तीन पुख्ता हाल व टीन शैड का शामलाती निर्माण कुछ वर्ष पूर्व किया गया था तथा उत्तरी पश्चिमी कोने पर एक गह पाटोड लगा रखी है जिनमें आधे भाग को ईटों की दीवारों से चुनवाकर कमरेनुमा निर्माण है तथा आधा भाग खुला छोड़ रखा है। भूमि विवादित मे एक शामलाती बोरिंग भी स्थित है जिसमे सिंचाई के लिये मोटर पम्प सैट लगाया हुआ है जिसका विद्युत खाता संख्या 2404/0002 वादी की माता श्रीमती शांति देवी के नाम से सहायक अभियन्ता जयपुर वि.वि.नि.लि. बांदीकुई मे चला आ रहा है। भूमि विवादित की चारों सीमाओ पर पुख्ता बाउण्ड्री वाल बनायी हुयी है। भूमि उक्त मे वादी का 1/8 वॉ हिस्सा है वादी की खातेदारी का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड मे दर्ज चला आ रहा है उपरोक्तानुसार वादी भूमि विवादित का रिकार्डेड काबिज काश्तकार खातेदार है। कुछ दिनो से प्रतिवादीगण अकारण वादी से रंजिश रखने लगे है। तथा भूमि विवादित जो संयुक्त हिन्दू परिवार की कोपार्सनरी सम्पति है के मूल स्वरूप को बदलकर उसका व्यक्तिगत हित में दुरूपयोग करने की बेजा मंशा रखने लगें है। वादी ने प्रतिवादीगण से भूमि ट्रस्ट का पृथक पर्चा बनवाने के लिये कहा तो वे लोग नाराज हो गये तथा भूमि उक्त का विभाजन करने से इन्कार कर दिया तथा ऐलानीया धमकी दी कि भूमि उक्त का जैसा हम चाहेगें उपयोग करेंगे और वादी ने ऐतराज किया तो वादी को भूमि विवादित में घुसने भी नही देगें। वादी ने पारिवारिक सम्पति का उचित प्रबन्धन करने तथा उसकी उपयोगिता बढाने के लिये सुझाव दिया तो प्रतिवादीगण ने भूमि विवादित में वादी का हिस्सा होने से ही इन्कार कर दिया तथा षडयंत्र पूर्वक मृतक रामेश्वर प्रसाद को बहला फुसला कर वादी की जानकारी मे लाये बिना चुपचुप ढंग से एक हक त्याग पत्र दिनांक 24.2.2010 को प्रतिवादी न. 5 के हक मे रजिस्टर्ड करवा दिया उक्त हक त्याग पत्र तैयार करने से पूर्व मृतक रामेश्वर प्रसाद व प्रतिवादीगण न० 5 ने विवादित सम्पति के एक भी सह हिस्सेदारों से न तो कोई सलाह की और न ही सहमति ली है स्व० रामेश्वर प्रसाद जो परिवार के मुखिया थे परिवार के कर्तांधर्ता थे तथा ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी भी थे उनका यह कर्तव्य था कि वे विवादित कोपार्सनरी सम्पति की उपयोगिता को सामूहिक हित मे बढाते परन्तु उनके द्वारा सामूहिक हित के विरूद्ध अवैधानिक ढंग से शामलाती भूमि के विशेष भाग को अपने कब्जे व हिस्से का दर्शाकर विधि विरूद्ध ढंग से हक त्याग पत्र का पंजियन करवा दिया है। जो कानूनन शून्य है अप्रभावी है। तथा शून्य घोषित

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
[illegible]

किये जाने योग्य है विवादित हक त्याग पत्र कानून के विरूद्ध है क्योंकि कोई भी सह हिस्सेदार शामलाती सम्पति के किसी विशेष भाग का अकेला स्वामी व खातेदार हो ही नही सकता है। तथा हिस्सेदार तथा परिवार का कर्ता धर्ता (मुखिया) शामलाती सम्पति के फायदे के लिये तथा परिवार की अपरिहार्य जरूरत के अलावा अन्य किसी कारण से सम्पति का रूपान्तरण व स्थानान्तरण नही कर सकता है न ही करवा सकता है, इस प्रकार विवादित हक त्याग पत्र विधि विरूद्ध होने के कारण तथा नियत स्टाम्प शुल्क पर तहरीर नही किये जाने के कारण प्रारम्भ से ही शून्य व अवैध है, विवादित हक त्यागपत्र वादी व अन्य प्रतिवादीगण के हक हकूक व अधिकारात के विरूद्ध शून्य एवम निष्प्रभावी है उसे शून्य घोषित करवाया जाना इन्साफन जरूरी है अन्यथा उक्त अवैध हक त्यागपत्र के आधार पर प्रतिवादी नं० 5 भूमि विवादित को किसी अन्य को रहन बय कर सकता है तथा भूमि विवादित पर अवैध रूप से जबरन निर्माण कर भूमि उक्त की किस्म बदल सकता है। वादी को विवादित हक त्याग पत्र के बारे में दिनांक 16.03.2010 को तहसील बसवा जाने पर जानकारी हुई है, इससे पूर्व वादी को विवादित हक त्याग पत्र की कोई जानकारी नही थी जानकारी होने पर वादी ने विवादित हक त्याग पत्र की नकल प्राप्त कर इस बाबत प्रतिवादीगण न 1, 5 व स्व० रामेश्वर प्रसाद से पूछा तो पहले तो उन्होंने इन्कार कर दिया जब वादी ने नकल प्राप्त कर लेने बाबत कहा, तो यह आश्वासन दिया कि तुम अन्य भाईयो को इस बाबत मत बताना, हम इसे रद्द करवा लेंगे, वादी ने पारिवारिक हितो के कारण अब तक उनके द्वारा दिये गये आश्वासनों के कारण कोई कार्यवाही नही की थी। वादी ने पुनः स्व०रामेश्वर प्रसाद से दिनांक 01-03-2011 को हक त्याग पत्र को निरस्त करवाने के लिये कहा तो वे टालम टोल करने लगे इस कारण अब वादी के पास दावा हाजा पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नही रहा था अतएव वाद पत्र पेश है। वादी द्वारा दिनांक 07.03.2011 को दावा पेश किया गया था प्रतिवादीगण ने दावे की जानकारी के बाद माह जुलाई 2011 में भूमि विवादित ख० नं० 635 व 636 में 30 60 फीट भूमि में नया पुख्ता निर्माण कर उस पर आर०सी०सी की छत बनवादी पुनः दिनांक 21. 03.2012 को उक्त निर्माण के उत्तर की तरफ उत्तर दक्षिण 7 मीटर व पूर्व पश्चिम 14 मीटर भूमि में अन्डरग्राउण्ड निर्माण हेतु जे० सी० बी० से नींव खुदवाकर दिनांक 23 03 2012 के बाद आर.सी.सी. की छत डलवाकर निर्माण कार्य (अन्डर ग्राउन्ड) पूर्ण कर भूमि विवादित की स्थिति को पूर्णतया बदल दिया है दावा दायरी के बाद किये गये उक्त निर्माणों को तुड़वाया जाकर पूर्व की स्थिति बहाल किया जाना इन्साफन जरूरी है। मुकदमा हाजा वादी के हक में प्रथम दृष्टया साबित है तथा सुविधा की तुला का सन्तुलन एवम् अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त भी बमुकाबिले प्रतिवादीगण वादी के हक में प्रमाणित है न्यायहित में प्रतिवादीगण को दवामि निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना जरूरी है। पक्षकारान की भूमि, विवादित की सकूनत अदालत हाजा के क्षेत्राधिकार में स्थित है तथा विनाय (मुखासमत) क्रमश दिनांक 24-02-2010 व 01-03-2011 को अदालत हाजा के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुई है इस कारण दावा हाजा अन्दर मियाद पेश है। भूमि विवादित आज दिन तक कृषि भूमि रिकार्ड में दर्ज है तथा भूमि की मौजूदा किस्म के बारे में अदालत हाजा ही निर्धारण करने के लिये सक्षम है तथा कृषि भूमि के बटवारा करने का भी अदालत हाजा को ही श्रवणाधिकार प्राप्त है इस कारण दावा हाजा के श्रवणाधिकार अदालत हाजा को प्राप्त है । प्रतिवादी गण न 15 से 17 को ट्रस्टी होने के कारण जरूरी होने के कारण प्रतिवादीगण बनाया गया है। तथा प्रतिवादी न 18 सकासमें के

कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) नैकई

लिये कानूनन जरूरी प्रतिवादी है इस कारण उन्हे प्रतिवादी बनाया गया है। दावा हाजा नियत कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र पेश कर अर्ज है कि वाद पत्र दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादी गण निम्न प्रकार डिक्री पारित फरमाया जावे। (1) उद्घोषणा इस ऊपर की पारित की जावे कि विवादित हक त्याग पत्र बहक प्रतिवादी नं० 5 दिनांक 24.2.2010 वादी एवम अन्य प्रतिवादीगण के हक हकूक व अधिकारात के विरूद्ध अवैधानिक होने के कारण शून्य व बेअसर है। (2) भूमि विवादित ख न. 638 रकबा 0.81 में से रकबा 0.22 है भूमि विवादित के पूर्वी व दक्षिणी कोने पर जहाँ मन्दिर बनाया गया है का विधिवत तकासमा किया जाकर उसका अलग पर्चा व नक्शा बनाया जावे। (3) यह है कि शेष रही भूमि विवादित मे से वादी के हिस्से 1/8 की भूमि का रास्तों की भूमि का निर्धारण कर रस्स नरसनुसार तकासमा किया जाकर वादी की भूमि का अलग खाता कायम कर अलग नक्शा बनाया जावे। 3ए– प्रतिवादीगण ने स्थगन आदेश के बावजूद पेरा नं० 6 ए मे वर्णित अवैध निर्माण किये है उन्हें हटवाया जाकर पूर्व की स्थिति बहाल करवायी जावे। (4) प्रतिवादीगण को दवामि निषेधाज्ञा से इस ऊपर से पाबन्द किया जावे कि वे भूमि विवादित के किसी भी भाग पर किसी भी प्रकार का खाम व पुख्ता निर्माण नही करे किसी दीगर शख्स को रहन बय नही करें तथा भूमि विवादित स्थित विधुत कनेक्शन खाता संख्या 2024/0002 का कृषि के कार्य के अलावा अन्य उपयोग नही करे स्थानान्तरित नही करे तथा भूमि विवादित मे स्थित वादी के हिस्से के उपयोग, उपभोग मे किसी भी प्रकार की मजाहमत स्वयं अथवा अपने परिजन व नौकर ऐजेन्ट प्रतिनिधिगण के द्वारा बाधा उत्पन्न नही करे। खर्चा मुकदमा वादी को प्रतिवादी न. 1 से 15 से दिलवाया जावे। अन्य अनुतोष जो न्याय संगत व बहक वादी हो और अता फरमाये जावे।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादीगण नम्बर 2 लगायत 8,10 की ओर से पेश किया गया। प्रकरण मे दिनांक 10.01.2025 को प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार बांदीकुई से फुर्रजात प्रस्ताव भिजवाने हेतु आदेश जारी किये गये। प्रकरण मे तहसीलदार बांदीकुई द्वारा उनके पत्रांक 9168 दिनांक 19.9.2025 के द्वारा फुर्रजात पेश किये गये। प्रकरण बहस फुर्रजात पर नियत किया गया प्रकरण मे वादी की ओर से धारा 151 का प्रार्थना पत्र एवं आपत्ती फुर्रजात पेश किया गया जो निम्न प्रकार है।

प्रार्थना पत्र धारा 151 जा.दी. का निम्न प्रकार पेश किया गया:– 1. उपरोक्त प्रकरण मे जारी प्राथमिक डिक्री की अपील प्रार्थी/वादी द्वारा माननीय राजस्व अपीलीय अधिकारी जयपुर के समक्ष पेश की हुई है। वाद पत्र मे वादी द्वारा उद्घोषणा भी चाही गई है। अपील अभी विचाराधीन है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय खेमराज वगै. बनाम रतनबाई वगै. मे दिनांक 07.06.2021 को यह मत प्रतिपादित किया है कि अगर प्राथमिक डिक्री की अपील विचाराधीन है तो अपील के निस्तारण तक अंतिम डिक्री पारित नही करनी चाहिए। (RRT 2021 (1) पेज न 615) 3 उपरोक्त वाद पत्र मे न्यायालय हाजा द्वारा पारित की गई प्राथमिक डिक्री की अपील श्रीमान राजस्व अपीलीय अधिकारी महोदय, के यहा विचाराधीन है जिसमे आगामी तारीख पेशी दिनांक 29.12.2025 नियत है। अपील की प्रति संलग्न है। प्रस्तुत वाद पत्र मे एक बेटे ने पिता के हक को स्वयं के हक मे त्याग पत्र करवाकर शेष भाईयो को उनके हक अधिकारो से वंचित कर दिया है और पारिवारिक विवाद को बढाने कार्य किया है। इस कारण भी प्राथमिक डिक्री की अपील का निस्तारण होने तक न्याय हित मे अंतिम डिक्री पारित नही की जानी चाहिए। वरना पक्षकारान को नये लिटिगेशन /मुकदमात मे उलझना पडेगा जिसके कारण पक्षकारान मे आपस मे मन–मुटाव पैदा होगे। 4 अन्य वकिया उज्रात वरवक्त बहस अर्ज किये जावेगे। अतएव प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार

फरमाया जाकर प्रकरण में अंतिम डिक्री, प्राथमिकी डिक्री के विरूद्ध विचाराधीन अपील के निस्तारण तक अंतिम डिक्री पारित नही की जावे।

वादी की ओर प्रार्थना पत्र आपत्ति कुरेजात निम्न प्रकार पेश किया गया:— 1 तहसीलदार बांदीकुई द्वारा न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 10.01.2025 की पालना में पेश किये गये है। उक्त आदेश दिनांक 10.01.2025 की अपील प्रार्थी/वादी द्वारा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी एवं भूप्रबंध अधिकारी जयपुर के समक्ष पेश की हुई है। जो विचाराधीन है। कानूनन प्राथमिक डिक्री की अपील के विचारण के दौरान प्रकरण में अंतिम डिक्री पारित नही की जा सकती है। 2 तहसीलदार बांदीकुई द्वारा दिनांक 19.09.2025 को प्रस्तुत कुरेजात राजस्थान काश्तकारी नियम 18 से 21 की अवहेलना करते हुए तहसील में बैठकर तैयार किये है जो मौके के स्थिति के विपरीत है। निरस्त किये जाने योग्य है। 3. वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 635 में से 800 वर्गमीटर भूमि का संपरिवर्तन पक्षकारान की श्रीमती शान्ति देवी द्वारा करवाया गया था। भूमि वादग्रस्त पक्षकारान की माँ शान्ति देवी से विरासत में प्राप्त हुई है। कानूनन व्यवसायिक भूमि का विभाजन का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नही है। तहसीलदार महोदय का यह विधिक दायित्व रहा है कि वह कृषि भूमि से संपरिवर्तित भूमि 800 वर्गमीटर को भूमि वादग्रस्त से अलग करने के पश्चात् ही केवल कृषि भूमि के कुरेजात तैयार करते। तहसीलदार महोदय द्वारा ना केवल गलत तौर पर कुरेजात तैयार किये है। बल्कि सरकार को राजस्व के नुकसान पहुँचाने की मंशा से प्रतिवादी रविन्द्र से सांठ–गांठ करके व्यवसायिक भूमि को भी कृषि भूमि में मिलाकर न्यायालय के समक्ष तथ्यों को छिपाकर कुरेजात प्रस्तुत किये है जिन्हे निरस्त फरमाया जाकर पुनः राजस्थान काश्तकारी नियम 18 से 21 की पालना करते हुए समस्त पक्षकारान को मौके पर कब्जा है उसी के अनुसार कुरेजात तैयार करके पेश करे तथा संपरिवर्तन भूमि को कृषि भूमि से हटाकर व्यवसायिक भूमि में दर्ज किये जावे। मौके पर संपरिवर्तित की हुई भूमि पर फैक्ट्री चालू है। तथा रामेश्वर प्रसाद से करवाया गया हक त्याग पत्र में भी स्पष्ट दर्ज है कि संपरिवर्तित की गई भूमि 800 वर्गमीटर पर उनका कब्जा है। 4 पक्षकारान की माँ शान्ति देवी द्वारा खसरा नं. 636 में से 22 ऐयर भूमि मंदिर को दान दी थी। ऐसे में उक्त 22 ऐयर भूमि के स्थान पर 29 ऐयर भूमि गलत तौर पर शामिल छोडी गयी है कानूनन 22 ऐयर भूमि मंदिर ट्रस्ट के नाम दर्ज की जानी चाहिए। मंदिर ट्रस्ट को दी जा चुकी भूमि पक्षकारान शामिलाती रूप से छोडकर पक्षकारान आपस में विवाद को जन्म देना है। तहसीलदार महोदय द्वारा मौके की स्थिति से बिल्कुल विपरीत कुरेजात तैयार किये है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। 5. प्रस्तुत कुरेजात मौके की स्थिति के बिल्कुल विपरीत तैयार किये गये है जो पक्षकारान में विवाद बढाने वाला साबित हो रहे है। इस कारण पुनः तहसीलदार महोदय को पक्षकारों की उपस्थिति में उनके कब्जे अनुसार व्यवसायिक भूमि को छोडकर कुरेजात बनाये जाने के आदेश फरमाये जावे। 6. अन्य दफियात उज्रात दरवक्त बहस और अर्ज किये जावेगें। अतएव प्रार्थना पत्र आपत्ति कुरेजात पेश कर अर्ज है कि तहसीलदार महोदय बांदीकुई द्वारा प्रस्तुत कुरेजात दिनांक 19.09. 2025 को निरस्त फरमाया जाकर पुनः पक्षकारान के कब्जे अनुसार एवं व्यवसायिक भूमि को छोडकर शेष कृषि भूमि के ही कुरेजात मंगवाने के आदेश फरमाये जावे तथा प्राथमिक डिक्री की अपील के निस्तारण तक प्रकरण में अंतिम डिक्री पारित नही की जावे।

प्रतिवादी सं० 7 स० 9 की ओर से आपत्ति कुरेजात निम्न प्रकार पेश किया गया— 1 आपत्तिकर्तागण को कुरेजात के बाबत कोई सूचना नही दी गई तथा कथित कुरेजात, आपत्तिकर्तागण को सूचित किये बिना तथा मौके पर तहसीलदारजी ने जाये बिना प्रतिवादी सं० 2, 6 तथा प्रतिवादी सं० 3 के पुत्र प्रकाश शाहरा एव तथाकथित प्रोपर्टी डीलर महेश अग्रवाल एव मुकेश कसाना से मिलकर फर्जी तौर पर तथा कथित कुरेजात तैयार किये है जो विधि विपरीत होने के कारण खारिज होने योग्य है। 2 कथित कुरेजात आपत्तिकर्तागण की अनुपस्थिति में तैयार किये गये है। उक्त वर्णित प्रतिवादीगण सं० 2, 6 व प्रतिवादी सं० 3 के पुत्र प्रकाश शाहरा के अलावा अन्य प्रतिवादीगण के भी हस्ताक्षर नही है इससे भी स्पष्ट है कि कथित कुरेजात नियम 18 लगा० 21 की अवहेलना कर विधि विरूद्ध तैयार किये गये है। इसलिये खारिज होने योग्य है 3 कथित कुरेजात मौके के विपरीत है तथा कुरेजात में जिस प्रकार वादग्रस्त भूमि को दर्शित किया है वह मौके के अनुरूप नही है। भूमि वादग्रस्त का दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में 2 पुख्ता फैक्ट्री निर्मित है,

जिसकी किस्म व्यवसायिक है जो कि राजस्व भूमि नही होने के कारण व्यावसायिक परिवर्तित भूमि होने के कारण माननीय न्यायालय हाजा को श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार नही होने से भी कुरेजात खारिज होने योग्य है। 4 व्यावसायिक फैक्ट्री की भूमि जिसमें पुख्ता फैक्ट्री है सम्पूर्ण को कुरेजात मे प्रतिवादी सं० 6 को दे दी गई है, जबकि कानूनन फैक्ट्री का विभाजन अलग से वादी व प्रतिवादीगण के मध्य होना चाहिये था इसलिये भी कुरेजात निरस्त होने योग्य है। 5 राममंदिर के अलावा भूमि वादग्रस्त एवं व्यावसायिक सपरिवर्तित फैक्ट्री की भूमि के अलावा शेष बची भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण ने अर्सा 15 वर्ष पूर्व से ही बाहमी बंटवारा कर रखा है जिसमे आपत्तिकर्तागण को फैक्ट्री के लगती हुई पूर्व की ओर की भूमि हिस्से मे आई, जिस पर आपत्तिकर्तागण काबिज है फिर भी आपत्तिकर्तागण के हितो को प्रभावित करने के लिए मौके के विपरीत मंदिर के लगती हुई भूमि कुरेजात मे दी है जो गलत है तथा मौके पर भूमि कम दी गई है क्योंकि मंदिर से लगती हुई दिशा दक्षिण पूर्व मे भूमि अंदर की ओर लगभग 10 फिट तथा 40 फिट पुख्ता परीयम बाउण्ड्री बनी हुई है जबकि कुरेजात के नक्शे मे दक्षिणी भुजा को सीधा दर्शाया गया है जो मौके के विपरीत है। इस प्रकार कथित कुरेजात मे आपत्तिकर्तागण को दी गई भूमि मौके पर कम है। 6 माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय डिक्री कानूनन सही नही है क्योंकि न्यायालय हाजा को व्यावसायिक सपरिवर्तित पुख्ता फैक्ट्री की भूमि के तकासमे का कानूनन क्षेत्राधिकार प्राप्त नही होने से कथित प्रारंभिक निर्णय डिक्री प्रवर्तनीय नही है। निर्णय डिक्री दूषित होने से भी कथित कुरेजात जो कि विधि विरूद्ध एवं मौके के विपरीत तैयार किये गये है खारिज होने योग्य है। 6 माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय डिक्री कानूनन सही नही है क्योंकि न्यायालय हाजा को व्यावसायिक संपरिवर्तित पुख्ता फैक्ट्री की भूमि के तकासमे का कानूनन क्षेत्राधिकार प्राप्त नही होने से कथित प्रारंभिक निर्णय डिक्री प्रवर्तनीय नही है। निर्णय डिक्री दूषित होने से भी कथित कुरेजात जो कि विधि विरूद्ध एवं मौके के विपरीत तैयार किये गये है खारिज होने योग्य है। 7 प्रतिवादी सं० 2, 6 एवं प्रतिवादी सं० 3 के पुत्र प्रकाश शाहरा मे कथित प्रोपर्टी डीलर महेश अग्रवाल एवं मुकेश कसाना से मिलकर आपत्तिकर्तागण के हक अधिकारो को प्रभावित करने की नियत से तहसीलदार जी से मिलकर कथित कुरेजात फर्जी तौर पर मौके के विपरीत तैयार किये गये है जो सरसरी तौर पर खारिज होने योग्य है। 8 प्रारंभिक निर्णय डिक्री दिनांक 10.01.2025 के विरूद्ध वादी द्वारा प्रस्तुत अपील लंबित है। 9 माननीय न्यायालय हाजा को श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है। अतः आपत्ति मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि आपत्ति स्वीकार फरमाई जाकर तथाकथित कुरेजात दिनांक 18.08.2025 को खारिज फरमाया जाकर, आपत्तिकर्तागण को सूचित कर मौके पर तहसीलदारजी, आपत्तिकर्तागण, वादी तथा अन्य प्रतिवादीगण की उपस्थिति मे मौके की वास्तविक स्थिति तथा पूर्व बाहमी बंटवारे व कब्जा अनुसार पुनः कुरेजात तलब करने के आदेश फरमाने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र धारा 151 का जवाब प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से निम्न प्रकार पेश किया गया।

वादी द्वारा जो प्रार्थना पत्र धारा 151 जा० दी० इन्द कुमार बनाम रामेश्वर पेश किया गया है वह प्रार्थना पत्र धारा 151 जा० दी० का दावे मे न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवम न्यायिक मजि० महोदय बांदीकुई मे कोई किसी प्रकार का न तो प्रस्तुत हुआ है ना ही लम्बित है न्यायालय द्वारा गलत अंकित किया गया है प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है । प्रार्थना पत्र का जि० न 01 जिस प्रकार तहरीर किया गया है गलत है स्वीकार नही है। प्रार्थना पत्र का जि० न 02 जिस प्रकार तहरीर किया गया है गलत है स्वीकार नही है। तथा उक्त अपील मे अपीलांट द्वारा रेस्पोन्डेन्टस के खिलाफ कोई आज दिनांक तक स्थगन आदेश पारित नही किया गया है ऐसी स्थिति मे विचारणीय कानूनी प्रक्रिया मे कोई रोक नही है। प्रार्थना पत्र का जि० न 03 जिस प्रकार तहरीर किया गया है गलत है स्वीकार नही है। तथा हक त्याग के बाबत वादी द्वारा या अन्य सहखातेदाराने का आज तक कोई गुजर बसेरा था ना आज कोई वादी या अन्य रेस्पोन्डेटस के द्वारा हक त्याग के बाबत कोई कानूनी कार्यवाही आज तक नही की गई तथा हक त्याग के बाबत केवल सिविल न्यायालय को ही अधिकार होता है इस आधार पर भी पोषणीय नही होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थना पत्र का जि० न० 04 जवाब का मोहताज नही है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र धारा 151 जा० दी० मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे व अन्तिम निर्णय फरमाया जावे।

सहायक कलेक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
([illegible] [illegible]) केकड़ी

प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र आपत्ति कुर्रेजात दिनांक 19.09.2025 के बाबत निम्न प्रकार पेश किया गया – 1. प्रार्थना पत्र का जि० न० 01 जिस प्रकार तहरीर किया गया है स्वीकार नही है पेश करना स्वीकार है परन्तु उस अपील मे स्थगन आदेश पारित नही किया गया है ऐसी सुरत मे अन्तिम डिक्री पारित किये जाने मे कोई किसी प्रकार की रोक नही है। 2 प्रार्थना पत्र का जि० न० 02 जिस प्रकार तहरीर किया गया है गलत है स्वीकार नही है तहसीलदार द्वारा दिनांक 19.09.2025 को कुर्रेजात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मे तहत बनाये गये है और तहसीलदार मय हल्का पटवारी मौके पर पहुंचकर रास्ता सरस नरस और कब्जे बाबत तीनो प्रावधानो का उचित प्रयोग करते हुए कुर्रेजात मौके पर तैयार कर बनाये गये है सारे आरोप असत्य व निराधार लगाये गये है इस आधार पर कुर्रेजातो को नही माने का कोई कानूनी प्रावधान नही है। प्रार्थना पत्र का जि० न० 03 जिस प्रकार तहरीर किया गया है गलत है स्वीकार नही है। विवादग्रस्त भूमि ख० न0 635 मे 600 वर्ग मी० भूमि का सपरिवर्तन पक्षकार श्रीमति शान्ति देवी द्वारा कराया जाना उसके पश्चात शान्ति देवी फौत होने के उपरान्त उक्त भूमि का नामान्तकरण उसके पति रामेश्वर प्रसाद शाहरा के नाम हो गया तथा रामेश्वर प्रसाद शाहरा द्वारा उक्त भूमि को रविन्द्र कुमार पुत्र रामेश्वर प्रसाद के हक त्याग करवा दिया तथा व्यवसायिक भूमि का जो नियमानुसार सहपरिवर्तन राशि जमा होती है वो रविन्द्र कुमार ने ही जमा कराई थी इसके अलावा तहसीलदार बांदीकुई द्वारा कुर्रेजात तैयार किये गये है और ना ही राज सरकार की कोई राजस्व हानि हुई तथा इस बाबत वादी व अन्य सहखातेदार द्वारा उक्त भूमि की बाबत किसी भी सिविल न्यायालय मे चुनोती दी है तहसीलदार बसवा द्वारा नियमानुसार विवादग्रस्त भूमि पर मौके पर पहुंचकर सरस नरस कब्जा व रास्ता आदि सभी चीजो को ध्यान मे रखते हुए मौके पर ही तैयार किये गये है इसमे राजस्थान काश्तकारी नियम की अवहेलना नही की है सभी पक्षकारान का ध्यान मे रखते हुए सरस नरस तकासमा किया है सारे आरोप तहसीलदार के खिलाफ लगाये है जो गलत व बेबुनियादी है जो खारिज किये जाने योग्य है तथा जो भूमि सपरिवर्तन आदेश की पालना मे व्यवसायिक दर्ज की उस पर रविन्द्र कुमार पुत्र रामेश्वर प्रसाद की फेक्ट्री चालू है तथा उसी बात को ध्यान मे रखते हुए मौके व भूमि के अनुसार 3 कुर्रेजात तैयार किये गये है जो सही है दिनांक 19.09.2025 के कुर्रेजातो को निरस्त किये जाने कोई प्रावधान नही है। 4. प्रार्थना पत्र का जि० न० 04 जिस प्रकार तहरीर किया गया है गलत है स्वीकार नही है। मन्दिर मे जो भूमि दान मे दी है उसका पंजीकरण करवाया गया है जो भूमि सामलाती से दी गई है उसको कम ज्यादा करने का अधिकार पक्षकारान को नही है तहसीलदार बांदीकुई द्वारा विवादग्रस्त भूमि गुढा रोड बांदीकुई के कुर्रेजात मौके पर ही तैयार किये गये है जो सही है। 5 प्रार्थना पत्र का जि० न० 05 जिस प्रकार तहरीर किया गया है गलत है स्वीकार नही है। पक्षकारान की मौजूदगी मे कुर्रेजात मौके पर तैयार किये गये है जो सही है। 6 यह है कि प्रार्थना पत्र का जि० न० 06 जवाब का मोहताज नही है। अतः जवाब मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है प्रार्थना पत्र आपत्ति कुर्रेजात दिनांक 19.09.2025 प्रार्थी वादी मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे एवम प्रकरण मे अन्तिम पारित फरमाई जावे ।

बहस उभय पक्ष प्रार्थना पत्र धारा 151 तथा प्रार्थना पत्र आपत्ति कुर्रेजात पर सुनी गई। प्रार्थना पत्र धारा 151 मे प्रार्थी का कथन है कि प्रकरण मे जारी प्रारम्भिक डिक्री की अपील वादी द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी न्यायालय जयपुर मे विचाराधीन होना बताया है। उक्त कथन के सम्बंध मे प्रार्थी /वादी द्वारा कोई दस्तावेज पेश नही किये गये है। नाही किसी न्यायालय का स्थगन पेश किया गया है। इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र धारा 151 का पोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है।

आपत्ति कुर्रेजात मे वादी का कथन है कि तहसीलदार बांदीकुई द्वारा दिनांक 19.09.2025 को प्रस्तुत कुर्रेजात राजस्थान काश्तकारी नियम 18 से 21 की अवहेलना करते हुए तहसील मे बैठकर तैयार किये है जो मौके की स्थिति के विपरीत है। निरस्त किये जाने योग्य है। 3. वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 635 मे से 600 वर्गमीटर भूमि का सपरिवर्तन पक्षकारान की श्रीमती शान्ति देवी द्वारा करवाया गया था। भूमि वादग्रस्त पक्षकारान की माँ शान्ति देवी से विरासत में प्राप्त हुई है। कानूनन व्यवसायिक भूमि का विभाजन का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नही है। तहसीलदार महोदय का यह विधिक दायित्व रहा है कि वह कृषि भूमि से संपरिवर्तित भूमि 600 वर्गमीटर की भूमि वादग्रस्त से अलग करने के पश्चात ही केवल कृषि भूमि के कुर्रेजात तैयार करते। तहसीलदार महोदय द्वारा ना केवल गलत तौर पर कुर्रेजात तैयार किये

है। बल्कि सरकार को राजस्व के नुकसान पहुँचाने की मंशा से प्रतिवादी रविन्द्र से सांठ–गांठ करके व्यवसायिक भूमि को भी कृषि भूमि मे मिलाकर न्यायालय के समक्ष तथ्यो को छिपाकर कुर्रेजात प्रस्तुत किये है जिन्हे निरस्त फरमाया जाकर पुनः राजस्थान काश्तकारी नियम 18 से 21 की पालना करते हुए समस्त पक्षकारान को मौके पर कब्जा है उसी के अनुसार कुर्रेजात तैयार करके पेश करें तथा संपरिवर्तित भूमि को कृषि भूमि से हटाकर व्यवसायिक भूमि मे दर्ज किये जावे। मौके पर संपरिवर्तित की हुई भूमि पर फैक्ट्री चालू है। तथा रामेश्वर प्रसाद से करवाया गया हक त्याग पत्र मे भी स्पष्ट दर्ज है कि संपरिवर्तित की गई भूमि 800 वर्गमीटर पर उनका कब्जा है। 4. पक्षकारान की माँ शान्ति देवी द्वारा खसरा नं. 636 मे से 22 ऐयर भूमि मंदिर को दान दी थी। ऐसे मे उक्त 22 ऐयर भूमि के स्थान पर 29 ऐयर भूमि गलत तौर पर शामिल छोड़ी गयी है कानूनन 22 ऐयर भूमि मंदिर ट्रस्ट के नाम दर्ज की जानी चाहिए। मंदिर ट्रस्ट को दी जा चुकी भूमि पक्षकारान शामिलाती रूप से छोड़कर पक्षकारान आपस मे विवाद को जन्म देना है।

वादग्रस्त भूमि खाता संख्या 107 नया पुराना 103 मे खसरा नम्बर खसरा नम्बर 635, 636 बारानी ए है जिसके अनुसार तहसीलदार द्वारा कुर्रेजात बनाये गये है उक्त भूमि का कनवर्जन हुआ यदि हुआ है तो ऐसी खाते मे शामिल होगी। तहसीलदार बांदीकुई द्वारा तैयार किये गये कुर्रेजात बमूजे राजस्व रिकार्ड किया जाना प्रतीत होता है। अतः आपत्ति कुर्रेजात खारिज किये जाते है। तहसीलदार बांदीकुई के पत्रांक भू.अ. /9168 दिनांक 19.9.2025 के द्वारा पेश कुर्रेजात स्वीकार किये जाते है वाद को कुर्रेजात अनुसार अंतीम डिक्री किया जाकर पक्षकारान का निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है–

प्रस्तावित कुर्रेजात			
नाम खातेदार	खसरा	रकबा(हे0)	किस्म
अंकिता पुत्री प्रभुदयाल हिस्सा–1/3, अनिल पुत्र प्रभुदयाल हिस्सा–1/3, रेणु देवी पत्नि प्रभुदयाल हिस्सा– 1/3 समस्त जाति महाजन सा. देह खातेदार	636/2	0.0800	बारानी A
	किता 1	0.0800	
निर्मल कुमार पुत्र रामेश्वर प्रसाद हिस्सा–1/1 जाति महाजन सा. देह खातेदार	636/3	0.0800	बारानी A
	किता 1	0.0800	
इन्द्रकुमार पुत्र रामेश्वर प्रसाद हिस्सा–1/1 जाति महाजन सा. खातेदार	636/4	0.0800	बारानी A
	किता 1	0.0800	
राजकुमार पुत्र रामेश्वर प्रसाद हिस्सा–1/1 जाति महाजन सा खातेदार	636/5	0.0800	बारानी A
	किता 1	0.0800	
दाऊदयाल पुत्र रामेश्वर प्रसाद हिस्सा–1/1 जाति महाजन सा खातेदार	636/6	0.0800	बारानी A
	किता 1	0.0800	
सत्यनारायण पुत्र रामेश्वर प्रसाद हिस्सा–1/1 जाति महाजन सा खातेदार	636/7	0.0800	बारानी A
	किता 1	0.0800	
नाबालिग अंकिता पुत्री विजय कुमार संरक्षक कृष्णा देवी हिस्सा–1/5, कृष्णा देवी पत्नि विजयकुमार हिस्सा–1/5, नाबालिग खुशी पुत्री विजयकुमार संरक्षक कृष्णा देवी	636/8	0.0400	बारानी A
	635/1	0.0400	बारानी A

१५६–

हिस्सा–1/5 नाबालिग भूमि पुत्री विजयकुमार संरक्षक कृष्णा देवी हिस्सा–1/5 नाबालिग निकिता पुत्री विजयकुमार संरक्षक कृष्णा देवी हिस्सा–1/5 रामरत जाति महाजन सा. देह खातेदार	किता 2	0.0800	
रविन्द्र कुमार पुत्र रामेश्वर प्रसाद हिस्सा–1/1 जाति महाजन सा. खातेदार	635/2	0.1600	बारानी A
	किता 1	0.1600	
सामलाती (हिस्से खाता सं0 107 की वर्तमान खाता स्थिति अनुसार)	636/1	0.2900	बारानी A
	किता 1	0.2900	

तहसीलदार बांदीकुई के पत्रांक तहसीलदार बांदीकुई के पत्रांक भू.अ./9168 दिनांक 19.9.2025 के द्वारा पेश कुर्रेजात उक्त आदेश का भाग रहेगा। तहसीलदार बांदीकुई तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करें साथ ही प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के हिस्से में आयी भूमि पर दखल पैदा न करें। तहरीर एवं अंतीम पर्चा डिक्री जारी होकर प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा आज दिनांक 13.03.2026 को खुले न्यायालय में निर्णय सुनाया गया।

13/3/26

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)